न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 47/2023
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांकः– 30.05.2024

गजानन्द बैरवा पुत्र मांगू जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।
2. श्योराज बैरवा पुत्र मांगू बैरवा जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0
3. सुगना देवी पुत्री मांगू जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0
4. संतोष देवी पुत्री मांगू जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील वादी
श्री विशाल शर्मा वकील प्रतिवादी 02, 03, 04
पैरोकार सरकार
वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय   दिनांकः– 30.05.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 169के आराजी खसरा नं. 1066/206 रकबा 0.6828 हैक्टेयर, खाता सं0 170 के आराजी खसरा नं. 697 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नंबर 777 रकबा 0.3035 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम मांगूराम पुत्र जीवण है, जबकि सहवन से उक्त राजस्व अभिलेखों में वादी के पिता का नाम खाता संख्या 169 में मांगीलाल पुत्र जीवण व खाता संख्या 170 में मांग्या पुत्र जीवण दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम मांगूराम पुत्र जीवण है उक्त त्रुटि मात्र सहवन से हुई है, जो कि काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी के समस्त दस्तावेजात यथा परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में वादी के नाम के आगे पिता का नाम मांगूराम ही दर्ज है तथा वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी वादी के पिता का नाम मांगूराम पुत्र जीवण बैरवा दर्ज है जिससे भी यह साबित है कि राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज मांग्या व मांगीलाल अंकित किया गया है वह गलत हुआ है एवं काबिले दुरूस्त है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

अभी हाल ही मे दिनांक 25.06.2023 को वादी ने विरासत का नामांतकरण खुलवाने हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई जिस पर वादी ने पटवारी हल्का से उक्त इन्द्राज को दुरस्त करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया तब तहसीलदार महोदय को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोही कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी। इसलिए वादी को उक्त वाद पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा फर्द मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने फर्द मौका पर्चा रिपोर्ट में मांगीलाल पुत्र ज़ीवण व मांग्या पुत्र जीवण एवं मांगूराम पुत्र जीवण एक ही व्यक्ति होने का बताया है।

प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 की और से अधिवक्ता श्री विशाल शर्मा उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

साक्ष्य हेतु रामनारायण पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी मोहनुपरा राजावतान तहसील फागी जिला दूदू का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने शपथ पत्र मे बताया की वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 को भली भांति जानता हु तथा पक्षकारान के पिता का नाम मांगूराम पुत्र जीवण है जो सही व सत्य है।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

34

वकील प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 ने अपनी बहस मे वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2074 – 2077 वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान के खाता सं0 170 मे वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 के पिता का नाम मांग्या पुत्र जीवण हिस्सा 1/2 व खाता सं0 169 में मांगीलाल पुत्र जीवण हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका पर्चा रिपोर्ट मे मांगीलाल पुत्र जीवण व मांग्या पुत्र जीवण एवं मांगूराम पुत्र जीवण एक ही व्यक्ति होने का बताया है। गवाहान ने भी अपने शपथ पत्र मे वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 के पिता का सही नाम मांगूराम पुत्र जीवण होने का कथंन किया है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि वादी के पिता का सही नाम मांगूराम पुत्र जीवण है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 169के आराजी खसरा नं. 1066/206 रकबा 0.6828 हैक्टेयर, खाता सं0 170 के आराजी खसरा नं. 697 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नंबर 777 रकबा 0.3035 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन मांग्या पुत्र जीवण व मांगीलाल पुत्र जीवण के स्थान पर मांगूराम पुत्र जीवण दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

30/5/24.
(राकेश कुमार ।।)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

गजानन्द बैरवा पुत्र मांगू जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।
2. श्योराज बैरवा पुत्र मांगू बैरवा जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0
3. सुगना देवी पुत्री मांगू जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0
4. संतोष देवी पुत्री मांगू जाति बैरवा निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज0

::— वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::—

मु0न0:— 47 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी पुरूषोतम शर्मा हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी श्री विशाल शर्मा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 169के आराजी खसरा नं. 1066 / 206 रकबा 0.6828 हैक्टेयर, खाता सं0 170 के आराजी खसरा नं. 697 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नंबर 777 रकबा 0.3035 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन मांग्या पुत्र जीवण व मांगीलाल पुत्र जीवण के स्थान पर मांगूराम पुत्र जीवण दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।**

निज **NIL** मुबलिग **NIL** बाबत **NIL** खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह **NIL** फीसदी. **NIL** सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक **NIL** का अदा करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना — अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.2024 को जारी की गई।

30/5/24

दस्तखत......................

मुहर

ओहदा....................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			स्टाम्प वजह सबुत		NIL
महन्ताना वकील		NIL	महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

30/5/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू